न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08 / 2021	2021 / 22	03.12.2021	22.07.2024

श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

श्री ताजमोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुस्लमान निवासी बागलिया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

:— प्रत्यर्थी / रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 20.01.2017 (शुद्धिपत्र) के संबंध में

उपस्थिति :—
1. श्री पैराकार सरकार
2. एक तरफा विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षीगण

—: आदेश :— दिनांक :— 22.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 20.01.2017 (शुद्धिपत्र) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बागरिया पटवार हल्का बसेरा तहसील प्रतापगढ़ के पुराना खाता संख्या 105 नवीन खाता संख्या 49 में दर्ज आराजी संख्या 195 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2069—2072 के अनुसार खातेदार श्री लालाराम पिता प्रभु मीणा साकिन बादाखेड़ी तहसील मन्दसौर जिला मन्दसौर (म.प्र) के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसे तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा (श्री शक्ति सिंह राजपूत) द्वारा दौराने सेग्रीगेशन (DILRMP योजना के तहत् ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड संधारण) कार्यवाही के समय पुर्ण लापरवाही व अनियमितता के साथ संबंधित गिरदावर एवं तहसीलदार के स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या —1 के नाम अंकन करा दिया। जबकि उक्त भूमियां अनुसूचित जनजाति संवर्ग के काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहते हुए ऐसी भूमियों का अन्तरण सामान्य जाति संवर्ग के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था।

उक्त कार्यवाही के विषय में प्रभावित पक्षकारान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत परिवेदना की पालना में जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 29.09.2020 के द्वारा मामले की समुचित जांच हेतु गठीत कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 से समुचित तथ्य सामने आने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं जिससे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सूनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी पैरोकार सरकार द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि राजकीय योजना DILRMP का फायदा उठाते हुए पटवारी द्वारा वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में पूर्व से दर्ज अनुसूचित जनजाति संवर्ग के खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड को ऑफ लाईन से ऑन लाईन अन्तरण करते वक्त सामान्य जाति संवर्ग के नाम दर्ज किया जाना सर्वदा अनुचित रहा है। जिसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त होकर रिकार्ड पत्रावली उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी तत्काल स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होकर राजस्व रिकार्ड में सुधार अति–आवश्यक है।

बहस पर मनन किया गया तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 22.06.2021, शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 20.01.2017, नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 20.01.2020 एवं नवीन खाता संख्या 49 नकल जमाबंदी संवत 2074–77, तहसीलदार प्रतापगढ़ रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं जानकारी के राजकीय योजना DILRMP के तहत् वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही (ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड अपडेशन) के दौरान वास्तविक खातेदारों की भूमियों का अवास्तविक खातेदारों के नाम दर्ज कराया जाना प्रमाणित होता है प्रकरण में दर्शित रिकार्ड अनुसूचित जनजाति संवर्ग (मीणा जाति) के व्यक्ति की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सामान्य वर्ग (मुस्लमान) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना वैसे भी धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित् प्रावधानों के अनुसार विपरीत रहा है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर विवादित (शुद्धिपत्र) नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 20.01.2017 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों को सेग्रीगेशन से पूर्ववत् दर्ज खातेदारी रिकार्ड अनुसार असरेनों कार्यवाही के साथ नवीनतम् स्थिति में रिकार्ड पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ

जिला कलक्टर प्रतापगढ़